उत्तर प्रदेश शासन
आबकारी अनुभाग-1
संख्या-15/2016/401/ई-1/तेरह-2016-स्था0 1/2016
लखनऊ:: दिनांक: 18 मार्च,2016

कार्यालय आदेश

श्री अविनाश मणि त्रिपाठी, संयुक्त आबकारी आयुक्त, ई0आई0बी0, मुख्यालय, इलाहाबाद को अपने पद के कर्तव्यों व दायित्व के साथ-साथ एतद्द्वारा संयुक्त आबकारी आयुक्त, वाराणसी जोन, वाराणसी के पद का अतिरिक्त कार्यभार अग्रिम आदेशों तक प्रदान किया जाता है।

2. नितान्त कामचलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत श्री अविनाश मणि त्रिपाठी को प्रदत्त उक्त अतिरिक्त कार्यभार के सम्पादन हेतु कोई अतिरिक्त वेतन-भत्ता अथवा सुविधायें देय नहीं होंगी।

राम बहादुर सिंह,
संयुक्त सचिव।

संख्या-15/2016/401(1)/ई-1/तेरह-2016- स्था0 1/2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) आबकारी आयुक्त, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
(4) सम्बन्धित कोषाधिकारी।
(5) सम्बन्धित अधिकारी।
(7) विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
सुनील कुमार पाण्डेय
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।